वित्त निर्देश– 26 / 2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय–रायपुर

क्रमांक 214/सी–29567/वित्त/नियम/चार/2011 रायपुर, दिनांक 01 जुलाई, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः–शासकीय सेवकों के लिए कमोन्नति योजना।

संदर्भः–1. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 1–1/1/वे.आ.प्र./99 दिनांक 17.03.1999/19.04.1999 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17.05.2000

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्रों एवं सामान्य प्रशासन विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी संशोधन/स्पष्टीकरण ज्ञापनों के द्वारा शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति योजना संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त योजना के अनुसार सेवा में नियुक्ति पश्चात् सेवा अवधि 12 वर्ष पूर्ण होने पर इस अवधि में प्रारंभिक वेतनमान अथवा उसके तत्स्थानी वेतनमान के अतिरिक्त कोई अन्य वेतनमान पदोन्नति/क्रमोन्नति/चयन /अपग्रेड करके अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ हो तो उक्त पद पर 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम क्रमोन्नति एवं प्रवेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त किसी शासकीय सेवक को एक से अधिक उच्चतर वेतनमान पदोन्नति/क्रमोन्नति/ चयन /अपग्रेडेशन अथवा अन्य किसी माध्यम से नहीं मिला हो तो उसे 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता होती है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ10–2/07/1–3 दिनांक 11 फरवरी, 2008 द्वारा ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसा पर निर्णय लेते हुए दिनांक 1.4.2006 से

कुछ संवर्गो/पदों का वेतनमान पुनरीक्षित किया गया है, जिसके फलस्वरूप उक्त तिथि से क्रमोन्नति वेतनमान भी पुनरीक्षित होगा ।

3. कतिपय विभागों द्वारा राज्य शासन से यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि जिन प्रकरणों में शासकीय सेवक के प्रथम नियुक्ति पद के वेतनमान में उपरोक्त ज्ञापन दिनांक 11.2.2008 द्वारा दिनांक 1.4.2006 से वृद्धि की गई है, उन प्रकरणों में 1.4.2006 अथवा उसके पश्चात प्रथम अथवा द्वितीय क्रमोन्नति की पात्रता होने पर संशोधित वेतनमान के आधार पर क्रमोन्नति की गणना हेतु संशोधित वेतनमान में नियुक्ति की तिथि क्या मानी जावेगी।

4. राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10–2/07/1–3 दिनांक 11 फरवरी, 2008 के क्रियान्वयन में जिन सिविल सेवाओं के लिए वेतनमान का उन्नयन किया गया है, उन सेवा के सदस्यों के लिए दिनांक 1.4.2006 अथवा उसके पश्चात क्रमोन्नति वेतनमान की पात्रता की गणना हेतु इस संशोधित वेतनमान में काल्पनिक नियुक्ति उस पद पर वास्तविक नियुक्ति की तिथि से मानी जावेगी।

5. यह ज्ञापन सामान्य प्रशासन विभाग के यू.ओ. क्रमांक 313 दिनांक 25.6.2011 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

(एस.के.चकवर्ती)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 215/सी-29567/वित्त/नियम/चार/2011 रायपुर, दिनांक 01 जुलाई, 2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग